भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1081**

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

**मध्यम उद्यमियों के लिए ऋण**

1081. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चूककर्ता (डिफाल्टर) या कोरोना महामारी के कारण ऋण किस्तों का भुगतान करने में असमर्थ रहे मध्यम उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के पास उद्यमियों द्वारा वापस नहीं की गई कुल सरकारी ऋण राशि संबंधी कोई आंकड़ा है;

(ग) सरकार द्वारा ऋण राशि वसूलने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा व्यवसायों के लिए अन्य ऋण उपलब्ध कराने हेतु ऋण वसूलने के लिए किए गए निपटानों की संख्या कितनी है तथा निपटाई गई ऋण राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क):** कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य व्यावसायिक उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए मई, 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) का शुभारम्भ किया गया था, जिसमें 60 दिनों तक की पिछली बकाया राशि वाले दबावग्रस्त खाते भी शामिल हैं, ताकि उनकी चलनिधि की स्थिति को सहज बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा मौजूदा पात्र उधारकर्ताओं को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र राशि के संबंध में 100% गारंटी के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। यह योजना नई गारंटी जारी करने के लिए दिनांक 31.3.2023 तक वैध थी। योजना की परिचालक एजेंसी, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 3.68 लाख करोड़ रुपये के कुल 1.19 करोड़ ऋण की गारंटी दी गई, जिनमें से लगभग 2.70 लाख मध्यम उद्यमों को 64,561 करोड़ रुपये की गारंटी के माध्यम से सहायता प्रदान की गयी।

**(ख):** ईसीएलजीएस एक गारंटी योजना है, इसलिए सरकार ने एमएलआई द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एनसीजीटीसी के माध्यम से गारंटी जारी की थी। एनसीजीटीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एमएलआई द्वारा मध्यम उद्यमों को दिए गए कुल 64,561 करोड़ रुपये के ऋणों में से, 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार 2,653 करोड़ रुपये के ऋणों को अनुप्रयोज्य आस्तियों (अर्थात पुनर्भुगतान न किये गये) के रूप में सूचित किया गया है;

**(ग):** योजना के दिशा-निर्देशों मे यह प्रावधान किया गया है कि ऋणदात्री संस्थाएं सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगी तथा उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा की पूरी राशि के संबंध में अपने साधन को बनाए रखेगी। तथा अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बकाया राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगी।

**(घ):** ईसीएलजीएस के तहत, सरकार ने योजना के तहत एमएलआई द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एनसीजीटीसी के माध्यम से केवल गारंटी जारी की है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण खातों से वसूली/इसका निपटान एमएलआई द्वारा किया जाना है। ऋणदाताओं द्वारा किए गए निपटानों की संख्या के संबंध में आकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****